

Std., High School, Secondary School and so on in metro cities;

(b) whether such a situation would jeopardise the prospects of some poor students by not getting admission in renowned Institutions; and

(c) whether Central Government propose to come at the rescue of such parents and students?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) and (b) In Kendriya Vidyalayas no donations are charged for admission. As regards public schools or private un-aided schools they are under the administrative control of the respective State/UT Governments depending on their location. These schools require recognition by the respective State or UT Government. The recognition conditions prescribed under the Education Acts or Rules of the concerned State or UT usually prohibit acceptance of donations. The State/UT Governments are to take action against the schools violating the provisions regulating acceptance of donations, as contained in their respective Education Act or Rules. Since there is no Central Act of school education and the majority of the schools in the country are under the administrative control of the respective State or UT Govt., the role of the Union Government is purely advisory in this matter.

(c) Does not arise

पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना

2835. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में पटना में इस संबंध में घोषणा की थी कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब से लागू किया जायेगा और अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएं

2836. श्री शिवचरण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन और उसके विभिन्न कर्मचारी संघों एवं संयुक्त संघ

समितियों द्वारा विभिन्न पत्र-पत्रिकाएं विभिन्न तिथियों से प्रकाशित की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इनमें से कौन-कौन सी पत्र-पत्रिकाएं समाचार-पत्रों के पंजीयक द्वारा पंजीकृत हैं/थी एवं इन्हें कब से पंजीकृत किया गया तथा इन पंजीयनों का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या इनमें से प्रकाशित किसी सामग्री को आपत्तिजनक मानकर/घोषित कर प्रकाशकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन तिमाही प्रकाशन 'संगम' और मासिक समाचार पत्र "के वी० एस० न्यूज" प्रकाशित करता है । ये प्रकाशन आन्तरिक परिचालन के लिए सीमित है । केन्द्रीय विद्यालय संगठन के छह मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ हैं । ये संघ कभी-कभी पुस्तिकाएं/पत्रिकाएं निकालते हैं जो कि उनके सदस्यों के परिचालन के लिए होती हैं । संयुक्त संघर्ष समिति जैसा कोई संघ नहीं है । केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं समाचार पत्रों के पंजीयक के पास पंजीकृत नहीं हैं । शिक्षक संघों के एक संघ अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ ने अपनी पत्रिका समाचार पत्रों के पंजीयक के पास पंजीकृत कराई है ।

(घ) और (ङ) अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है । केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सक्षम प्राधिकारी को ऐसे मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने की शक्ति है ।

#### Admission in Medical and Dental Colleges of Karnataka

2837. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government have issued certain guidelines to the management of professional colleges, including Medical and Dental Colleges, for regulating admissions in the light of Supreme Court judgements in this regard;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether it is a fact that the management of various Medical Colleges of Karnataka have allotted about two hundred vacant seats to managements instead of giving them to the outside Karnataka candidates; and